

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... पुत्रेन्द्र सिंह ..... बनाम ..... श्री. राजावत प्रकाश कर्मा .....

किस्म मुकदमा ..... घाय - 225 ..... अकील संख्या ..... 2022/185 .....

अभिभाषक अपीलान्त श्री. राजावत प्रकाश कर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

05/6/24.

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेसपो की तलबी करायी जाकर (अपील जबर) यह पत्रावली दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

24/7/2024.

*mt*  
(ममता कुमारी तिवारी)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा


24.7.24

पत्रावली पेश हुई अपीलान्त गण एवं उनके अभिभाषक को रकम-रकम कर तीन बार आवाजे लगवायी गयी, फिर भी उन्होने कोर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट विवर्जित होने तक इंतजार किया गया। पत्रावली के रेस्पोंड. 1 लव 4 के तमाम नोटिस पारिदे रजि. ए. डी. आदिगांउ तक अति. अपीलान्त डाटा उस्तुर नहीं किये हैं। पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम फेरवी के खारिज ही गयी हैं। पत्रावली फुलफुल शुमार होउ (बाड नमील लउकील दमिल पप्टर हो)

*mt*  
(ममता कुमारी तिवारी)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा  
केम्प, बारों राज0



7/5/05 का कागज टुकड़ा  
कोटा के न्यायालय में जमा किया गया  
आपकी दिशा में जारी किया गया

- 1- प्रमेन्द्रसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र तेजसिंह
  - 2- नरपतसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र तेजसिंह
  - 3- कृष्णा कुमारी आयु 40 वर्ष पुत्री तेजसिंह
  - 4- तरुणा कुमारी आयु 43 वर्ष पुत्री तेजसिंह
  - 5- चेतना कुमारी आयु 45 वर्ष पुत्री तेजसिंह
- जातिगण चारण निवासीगण मौलखी तहसील अन्ता जिला बारों राज0  
— अपीलान्टी

बनाम

- 1- श्यामलाल पुत्र मथुरालाल जाति माली
- 2- निर्मला कुमारी जजावरा पुत्री श्यामलाल सुमन
- 3- सुशीलादेवी पत्नी श्यामलाल जाति माली  
निवासीगण मौलखी तहसील अन्ता जिला बारों हाल निवास 38 तिलक  
नगर कोटा राज0
- 4- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारों राज0  
रेस्पोंडेन्टस्

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो0 मांगरोल  
केम्प अन्ता द्वारा किये गये निर्णय दिनांक  
21-02-2005 से अप्रसन्न होकर राज0 टीनेन्सी एक्ट  
की धारा 225 के अन्तर्गत अपील बमुकदमें प्रकरण  
संख्या 07/2004 बउनवान प्रमेन्द्रसिंह बनाम  
श्यामलाल वगैरहा

मान्यवर,

अपीलान्टी निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत करते हैं कि :-

- 1- यह कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 21-02-2005 विधि न्याय एवं संविधान में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सम्बन्धों से विपरीत होने से निरस्तनीय है।